न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—25/2025

जी.सी.एम.एस नं.—2025/67

मनीसिंह पुत्र हरचरणसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———प्रार्थी

बनाम्

1. बघेलसिंह पुत्र हरचकरणसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. स्वर्णकौर पत्नी हरचरणसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. कुलविन्द्रकौर पुत्री हरचरणसिंह पत्नी बलविन्द्रकौर जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एमएलडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. जसविन्द्रकौर पुत्री हरचरणसिंह पत्नी बूटासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. बलविन्द्रकौर पुत्री हरचरणसिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 30 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजविन्द्रकौर पुत्री हरचरणसिंह पत्नी मनमोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित—

1. श्री हरीचन्द अरोड़ा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री गुरतेजसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.—1 की ओर से
3. श्री अजीतसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.—2,3,5,6, की ओर से
4. श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट अप्रार्थी सं.—4 की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है यह कि कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—32 पत्थर सं.—200/19 के किला नं.—6 ता 25 की कुल 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी के पिता श्री हरचरणसिंह पुत्र श्री गुरदत्तसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 पी की जरिए बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि है। इस प्रकार यह कृषि भूमि प्रार्थी के पिता की अर्जित कृषि [illegible] प्रार्थी के पिता श्री हरचरणसिंह सरल स्वभाव के बहुत दुरदर्शी व्यक्ति थे तथा उन्होंने अपनी पुत्रीयों की शादी बड़े धुमधाम से वा अच्छा खासा दान दहेज देकर की थी तथा सभी पुत्रीया अपने—2 सम्पन्न परिवारो में निवास कर रही है। इन सभी परिस्थितियों को [illegible] हुऐ प्रार्थी के पिता श्री हरचरणसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने स्वयं व प्रार्थी एवंम अप्रार्थी सं. —1 के मध्य घरेलु पारिवारिक बंटवारानामा निष्पादित करवाया जिसके तहत प्रार्थी के पिता

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested

वा प्रार्थी एवंम अप्रार्थी सं.–1 के मध्य निम्न प्रकार से इस कृषि भूमि का दिनांक 13.05.2019 को बंटवारा हो गया जो इस प्रकार है:–

हरचरणसिंह पुत्र श्री गुरदत्तसिंह के हिस्से कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 का किला नं.–6 ता 25 की 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कृषि भूमि में अपने हिस्सा में किला नं.–13 की 0.152 हैक्टर, किला नं.–14 की 0.253 हैक्टर, किला नं.–16 ता 19 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर, किला नं.–20 में 0.228 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.405 हैक्टर कृषि भूमि अपने हिस्सा मे रखी।

प्रार्थी के हिस्से कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 का किला नं.–6 ता 9 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, किला नं.–10 की 0.074 हैक्टर, किला नं 11 का 0.228 हैक्टर, किला नं.–12 का 0.253 हैक्टर व किला नं.–13 की 0.077 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.644 हेक्टर कृषि भूमि प्रार्थी के हिस्सा में दी गई। अप्रार्थी सं.–1 के हिस्से कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 का किला नं.–13 की 0.024 हैक्टर, किला नं.–15 की 0.253 हैक्टर, किला नं.–21 की 0.228 हैक्टर, किला नं.–22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 टैक्टर इस प्रकार कुल 1.517 हेक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के हिस्सा में दी गई। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि दिनांक 13.05.2019 को निष्पादित पारिवारिक घरेलु बंटवारानामा प्रार्थी एवंम अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 की सहमति से निष्पादित हुआ दस्तावेज है तथा इस दस्तावेज के निष्पादन के समय अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार यह पारिवारिक घरेलु बंटवारानामा प्रार्थी, अप्रार्थीगण से 1 ता 6 की स्वेच्छया, सहमति से तथा इन सभी सदस्यो की एक राय से निष्पादित हुआ है ताकि भविष्य में इस कृषि भूमि को लेकर परिवार के सदस्यो में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो तथा परिवार के सदस्यो के संबंध दूषित ना हो। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि इस पारिवारिक घरेलु बंटवारानामा के तहत यह कृषि भूमि प्रार्थी के पिता, प्रार्थी एवंम अप्रार्थी सं.–1 के मध्य बांटी गई है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस घरेलु बंटवारा के तहत अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 को कोई कृषि भूमि नही दी गई है। वर. वक्त घरेलु बंटवारा अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 की और से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 की सहमति से वा परिवार के सभी सदस्यो की स्वेच्छ्या से यह घरेलु बंटवारानामा निष्पादित हुआ है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि घरेलु बंटवारानामा दिनांक 13.05.2019 से यह भी तैय पाया गया था कि प्रार्थी के पिता देहांत के बाद यह समस्त 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि हम दोनों भाईयो यानि प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 के मध्य बंट जावेगी। अप्रार्थीया सं.–2 हालांकि जिवित है तथा चूकिं इस घरेलु बंटवारा में अप्रार्थीया सं.–2 को कोई कृषि भूमि नहीं दी गई है तथा प्रार्थी एवंम अप्रार्थी सं.–1 का यह सामाजिक दायित्व है कि वह अपनी माता अप्रार्थीया सं.–2 की देखभाल व व्यवस्था करे। जिसके लिए प्रार्थी सदैव ही प्रयत्नशील [illegible] परन्तु प्रतिवादी सं.–2 अप्रार्थी सं.–1 के प्रभाव में आकर उसके साथ [illegible] है। प्रार्थी के पिता श्री हरचरणसिंह पुत्र श्री गुरदत्तसिंह जाति कम्बोजसिख का देहांत दिनांक 17.01.2025 को हो चुका है तथा इस घरेलु बंटवारानामा के तहत प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 के मध्य निम्न प्रकार से कृषि भूमि का बंटवारा किया गया–

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के हिस्से में कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 का किला नं.–6 ता 25 की 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर मे से किला नं.–6 ता 9 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, किला नं.–10 का 0.074 हैक्टर, किला नं.–12 ता 14 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, किला नं.–19 का 0.165 हैक्टर, किला नं.–20 का 0.228 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.466 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी के हिस्सा में आई। अप्रार्थी सं.–1 के हिस्से मे कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 का किला नं.–6 ता 25 की 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर में से किला नं.–15 ता 18 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, किला नं.–19 की 0.088 हैक्टर, किला नं.–21 का 0.228 हैक्टर, किला नं.–22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.340 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी के हिस्सा में आई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–1 के हिस्सा मे दी गई कृषि भूमि का जो क्रमशः 2.466 हैक्टर वा 2.340 हैक्टर यानि 4.806 हैक्टर ही बनता है तथा प्रार्थी के पिता श्री हरचरणसिंह की यह स्वअर्जित सम्पतिं भी कुल इतनी ही है जो घरेलु बंटवारा के तहत प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं.–1 को बांट कर दे दी गई। प्रार्थी के पिता श्री हरचरणसिंह पुत्र श्री गुरदत्तसिंह का देहांत दिनांक 17.01.2025 को होने के पश्चात अप्रार्थी सं.–1 ने बदनियत होकर अपनी माता व बहनो जो क्रमशः अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 है, का हिस्सा हड़पने के लिए प्रार्थी द्वारा विरोधस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो अप्रार्थी सं.–7 के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी के इस विरोध के बावजुद भी अप्रार्थी सं.–7 तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा जरिए नामातंरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 के तहत विरास्तन का इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिए गए, जो प्रार्थी एवंम अप्रार्थी सं.–1 के मध्य हुऐ घरेलु बंटवारा की घौर अवहेलना है और घरेलु बंटवारा की खिलाफवर्जी करते हुऐ यह नामातंरण दर्ज किया गया है जो कतई तौर पर अवैध एवं निर्थक है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि प्रार्थी अपने इस वाद में नामातंरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 चुनौती दे रहा है तथा अपने इस वाद के माध्यम से ऐसे नामातंरण को चुनौती देने का भी अधिकार रखता है तथा न्यायालय से यह भी अनुतोष चाहा गया है ऐसे अवैध एवं निर्थक नामातंरण का अपास्त किऐ जाने के आदेश भी दिऐ जावे। अप्रार्थी सं.–7 द्वारा यह नामातंरण का आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विरोध के अवहेलना की गई तथा मौका की जांच भी नहीं की गई। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता है कि नामातंरण का आदेश करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी कृषि भूमि का नामातंरण करने से पूर्व उस कृषि भूमि के मौका जांच की जावे परन्तु नामातंरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई मौका जांच नहीं की गई। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता है कि उपरोक्त नामातंरण को दर्ज करने का आदेश देने से पूर्व यदि अप्रार्थी सं.–7 द्वारा मौका जांच कर ली गई होती तो अप्रार्थी सं.–7 के समक्ष यह स्पष्ट हो जाता कि यह कृषि भूमि प्रार्थी वा अप्रार्थी सं.–1 को घरेलु बंटवारा में आई कृषि भूमि है तथा इस कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 का कोई हक या हिस्सा नही बनता है। जबकि नामातंरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 के तहत प्रत्येक को 1/7 हिस्सा दे दिया गया [illegible] व अप्रार्थी सं.–1 के मध्य हुऐ घरेलु बंटवारा की स्पष्टया अवहेलना है, ऐसा [illegible]तंरण [illegible] तौर पर अवैध एवं निर्थक है जो अपास्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी इस न्यायाल[illegible] समक्ष यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता है कि नामातरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 की आड़ में अप्रार्थी स.–1 अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 से मिलीभगत कर अप्रार्थीगण [illegible]–2 ता 6 प्रत्येक की 1/7 हिस्सा की कृषि भूमि अपने पक्ष मे हस्तांतरित करवाने को उतारू है। अप्रार्थी सं.–1 अपने इस मकसद मे सफल हो गया तो प्रार्थी के हितो पर कुठाराघात होगा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

घरेलु पारिवारिक बंटवारानामा की स्पष्टया अवज्ञा व अवहेलना होगी। प्रार्थी इस विधिक स्थिति को भी न्यायायल के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता है कि न्यायालय का भी यह परम दायित्व बनता है कि वह किसी परिवार मे हुऐ घरेलु बंटवारा को विश्वसनीय दस्तावेज मान कर उसका सम्मान करे व उसकी पालना करवाने हेतु न्यायोचित आदेश पारित करे। प्रार्थी ने कल दिनांक 07.5.2025 को अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 को उसके निवास स्थान पर जाकर समझाया कि आपने घरेलु पारिवारिक बंटवारानामा की अवज्ञा व अवहेलना करते हुऐ नामातंरण सं.–396 दिनांक 0505.2025 दर्ज करवाया है, वह कतई तौर पर अवैध एवं निर्थक है तथा आप अप्रार्थी सं.–7 के समक्ष उपस्थित आकर इस नामातंरण को अपास्त करवाने में प्रार्थी का सहयोग करे। जिस पर अप्रार्थीगण सं.–ता 6 ने स्पष्ट इंकार यह कि प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अब इस कृषि भूमि को सयुंक्त रखा जाना संभव ही नहीं है तथा घरेलु बंटवारा के अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. – के मध्य इस कृषि भूमि का बंटवारा होना नितांत आवश्यक है तथा बंटवारा के वाद में राजस्थान सरकार एक आवश्यक पक्षकार है जिसे अप्रार्थी सं.–7 पक्षकार बनाया जा रहा है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अप्रार्थीगण सं.–1 ता 6 नामातंरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 की आड़ में इस कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा ऐलानिया प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि वह अतिशीघ्र इस कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान कर प्रार्थी को उसके अधिकारो से वंचित कर देगें। अप्रार्थीगण सं. –1 ता 6 अपने इस मकसद में कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को घरेलु बंटवारा के तहत प्राप्त कृषि भूमि नष्ट भष्ट हो जावेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह दौराने वाद नामातंरण सं.–396 दिनांक 05.05.2025 की आड़ मे इस कृषि भूमि वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 के किला नं.–6 ता 25 की कुल 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व हस्तांतरित करने से बाज व ममनु रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरतेजसिंह ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं.–2,3,5,6 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीतसिंह ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं.–4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार कामरा ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

अप्रार्थी सं.–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 पी के नाम से मुरब्बा नम्बर 32, पत्थर संख्या 200/19 के किला नम्बर 06 ता 25 के कुल 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि खरीदशुदा थी जो [illegible] में दर्ज थी जिसका वे एक मात्र तनहा मालिक थे। उनके [illegible] कृषि भूमि का समस्त अधिकार एवं हक हम अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह के [illegible] एवं आधिपत्य में ही रही थी। अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह की मृत्यु दिनांक 17.01.2025 को हो चुकी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 के पिता हरचरण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का एक पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 13.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

2019 को तहरीर तकमील करवा था जिसके अनुसार चक 5 पी के नाम से अनूपगढ़ तहसील के चक 5 पी का मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर संख्या 200/19 के किला नम्बर 06 ता 25 के कुल 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से प्रार्थी मनीसिंह के हिस्से में किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 10 का 0.074 हैक्टर, किला नम्बर 11 का 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 12 का 0.253 हैक्टर व किला नम्बर 13 का 0.077 हैक्टर कुल 0.644 हैक्टर कृषि भूमि दिये जाने का तथ्य वर्णित करवाया था तथा इसी प्रकार मुझ अप्रार्थी को किला नम्बर 13 का 0.024 हैक्टर, किला नम्बर 15 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 21 का 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 22 ता 25 सालम, इस प्रकार कुल 1.517 हैक्टर कृषि भूमि दिये जाने का तय वर्णित करवाया या और था और स्वयं के पास किला नम्बर 13 का 0.152 हैक्टर किला नम्बर 14 का 0.253 हैक्टर किला नम्बर 16 ता 19 सालम व किला नम्बर 20 का 0.228 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.405 हैक्टर कृषि भूमि अपने पास रखने का तथ्य अंकित करवाया है परन्तु पक्षकारान के पिता/पति हरचरण सिंह ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त पारिवारिक बंटवारानामा के अनुसार कृषि भूमि बांटकर नहीं दी गई। पक्षकारान के पिता/पति हरचरण सिंह का उनके जीवनकाल तक समस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा। शेष तथ्य गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 के पिता/पति हरचरण की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 06 के पिता/पति हरचरण सिंह द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का जो पारिवापिक बंटवारानामा दिनांक 13.05.2019 को तहरीर तकमील करवाया था उसका अभिज्ञान अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 06 को कतई नही था। उपरोक्त पारिवारिक बंटवारानामा की जानकारी प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 व हमारे पिता हरवरण सिंह व पारिवारिक बंटवारानामा में दर्ज हासिया के गवाहान मोहनलाल पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ व रघुवीर सिंह पुत्र दारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ के अलावा अन्य किसी को नही थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 के पति/पिता हरचरण सिंह द्वारा दिनांक 13.05.2019 को जो पारिवापिक बंटवारानामा तहरीर तकमील करवाया था उसका अभिज्ञान अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 06 को कतई नही था तथा ना ही उक्त कृषि भूमि मेरे पिता द्वारा प्रार्थी, मुझ अप्रार्थी व स्वयं के मध्य बांटी थी। मेरे पिता हरचरण सिंह के जीवनकाल तक उपरोक्त समस्त कृषि भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चले आ रहे है। मेरे पिता पिता हरचरण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का जो पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 13.05.2019 को तहरीर तकमील करवा या जिसके अनुसार चक 5 [illegible] से अनूपगढ़ तहसील का मुरब्बा नम्बर 32, पत्थर संख्या 200/19 के किला [illegible] 06 [illegible] 25 के कुल 20 बीधा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का उनकी मृत्यु के [illegible] हम दोनों भाईयों (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01) के मध्य [illegible] परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण [illegible] एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 13:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

शांतिपूर्वक कब्जा काश्त बले आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 की माता स्वर्णकौर जीवित हैं। प्रार्थी मनी सिंह ने कभी भी माता स्वर्णकौर की देखभाल एवं पालन पोषण करने का प्रयास ही नहीं किया एवं हमेशा से ही उनसे नाराज रहता चला आ रहा है। पिता हरवरण सिंह की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीया संख्या 02 को जो विरासत में प्राप्त 1/7 हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त हुई है को हिस्से ठेके पर काश्त करवाकर अपना गुजारा कर रही है। अप्रार्थीया संख्या 02 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को एक वर्ष के लिए बग्गा सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) को 2,60,000/–रूपये में ठेके पर काश्त करने के लिए दे रखी है। कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह के जीवनकाल तक उनके कब्जा काश्त में रही तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् मुझ अप्रार्थीया संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 07 के कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.04.2025 को उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज किया गया जिसकी पालना में हल्का पटवारी चक 6 पी द्वारा दिनांक 03.05.2025 को मौके पर आकर पक्षकारान की मौजूदगी में उपरोक्त कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर यानि 1/7 हिस्सा कृषि भूमि का कब्जा संभलवा दिया। उस रोज हल्का पटवारी द्वारा अपनी दैनिक डायरी भी भरी गई थी जिस पर प्रार्थी एवं मुझ अप्रार्थी का बतौर सहमति के रूप में हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का 1/7 हिस्सा है जिस पर पक्षकारान का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। पिता हरचरण सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज हो चुका है जिसके अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा विधिक तरीके से उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। चूंकि अप्रार्थी संख्या 02 ता 06 भी पिता हरचरण सिंह के विधिक वारिसान है एवं उनका भी उपरोक्त कृषि भूमि में बराबर का हिस्सा बनता है। इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का 1/7 हिस्सा है जिस पर पक्षकारान का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 06 के पति/पिता की मृत्यु के पश्चात् मुझ अप्रार्थीया संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 07 के कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.04.2025 को उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज किया गया जिसकी पालना में हल्का पटवारी चक 6 पी द्वारा दिनांक 03.05.2025 को मौके पर आकर पक्षकारान की मौजूदगी में उपरोक्त कृषि भूमि में चहिस्सा बराबर यानि 1/7 हिस्सा कृषि भूमि का कब्जा संभलवा दिया। उस रोज हल्का पटवारी द्वारा अपनी दैनिक डायरी भी भरी गई थी जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 का बतौर सहमति के रूप में हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का 1/7 हिस्सा है जिस पर पक्षकारान का शांतिपूर्वक कब्जा कास्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उपसेका कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इसलिए अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा पारित उक्त आदेश विधि सम्मत है। अप्रार्थी सं.–7 द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.04.2025 द्वारा उक्त कृषि भूमि का विरास्तान इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है उससे में अप्रार्थी सन्तुष्ट हू एवं अप्रार्थी सं.–7 द्वारा पारित इन्तकाल आदेश के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–2 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

6 की भाति मझ अप्रार्थी का भी 1/7 हिस्सा कृषि भूमि पर शातिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं.–2,3,5,6 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 पी के नाम से मुरब्बा नम्बर 32, पत्थर संख्या 200/19 के किला नम्बर 06 ता 25 के कुल 20 बीघा यानि 4.806 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि खरीदशुदा थी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसका वे एक मात्र तनहा मालिक थे। उनके जीवनकाल तक उक्त कृषि भूमि का समस्त अधिकार एवं हक हम अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह के अधिकार एवं आधिपत्य में ही रही थी। अप्रार्थीगण के पति/पिता हरचरण सिंह की मृत्यु दिनांक 17.01.2025 को हो चुकी है। अप्रार्थी के पति/पिता हरचरणसिंह की मृत्यु लगभग 85–86 वर्ष की आयु में दिनांक 17.01.2025 को हुई है जो काफी बुजुर्ग होने के कारण अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में अर्सा 6–7 वर्षो से काफी अस्वस्थ एवं मानसिक दुर्बलता के कारण सोचने समझने में असमर्थ थे इसलिए उनकी इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 जो कि हम अप्रार्थीगण का पुत्र/भाई है ने अपास में मिलीभगत करने बिना उनकी सहमति एवं इच्छा के उपरोक्त कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 13.05.2019 को तहरीर तकमील करवा लिया। वादी एवं प्रतिवादी सं.–1 द्वारा तहरीर तकमीलशुदा उक्त दस्तावेज पजबीद्व भी नही है इसलिए उक्त दस्तावेज हम अप्रार्थीगण के हितो पर शुरू से अवैध एवं शून्य है अप्रार्थीगण के पिता हरचरणसिंह की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि का विरास्तान नामान्तरण प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण सं.–2 ता 6 के पति/पिता हरचरणसिंह ने दिनांक 13.05.2019 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में कोई पारिवारिक घरेलू बंटवारानामा नही किया था एव ना ही उस बंटवारानामा में हम अप्रार्थीगण की कोई सहमति भी बल्कि उनकी अस्वस्थ एवं मानसिक दुर्बलता का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ने आपस में मिलिभगत करने बिना उनकी सहमति एवं इच्छा के उपरोक्त कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 13.08.2019 को तहरीर तकमील करवा लिया जो कि पंजीबद्व दस्तावेज नही है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अनवानी प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी सं.–4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अनवानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे तो मुझ अप्रार्थीया सं.–4 को कोई एतराज नही है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 के किला नं.–6 ता 25 की कुल 4.806 हैक्टर कमाण्ड भूमि पर अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाए उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से [illegible] करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार [illegible] विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड सयुक्त खाता की हैं, मूल टीनेन्ट हरचरण सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी एवं प्रतिवादी वारिस हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में बंटवारानामा होना स्वीकार किया गया है, पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में सामने आने के उपरांत निर्णीत होगें इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षित किया जाना उचित है। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं ऐसी स्थिती में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 के किला नं.–6 ता 25 की कुल 4.806 हैक्टर की कृषि भूमि पर मौका व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक 5 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–200/19 के किला नं.–6 ता 25 की कुल 4.806 हैक्टर प्रार्थी के कब्जा काश्त मे बेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनू रहे। रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा **दिनांक** को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:58 IST
Reason: SelfAttested